बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प।

सं0–15/आरोप (पटना) 02–30/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

Criminal Miscellaneous case no-33376/2024 सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एवं Criminal Miscellaneous case no-41717/2024 वन्दना सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–13.12.2024 Additional Chief Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar to inquire into the matter and file the counter affidavit giving details regarding the persons, who are involved in illegal transaction by getting certain pieces of land mutated in their respectiv name or getting those land mutated in the names of innocent persons, के आलोक में विभागीय जाँच दल द्वारा विवादित भूखण्ड जिला–पटना, अंचल–सम्पतचक, हल्का–लंका कछुआरा, मौजा–जुझारपुर, थाना–128 के अन्तर्गत खाता–10 खेसरा–1342 का कुल खतियानी रकवा–3.16 एकड़ की स्थलीय जाँच एवं अंचल कार्यालय में संधारित राजस्व संबंधित पंजियों की जाँचोपरान्त पाया गया कि विषयांकित भूमि पर व्यवहार न्यायलय, पटना में स्वत्व वाद सं0–4747/2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.- 511/2011 में दिनांक–11.08.2015 को पारित आदेश '.............Untill further orders of the trial court, both the parties shall not alienate/transfer or create any encumbrance in relation to the suit land. The Physical features of the suit land shall not be altered/changed substantially without taking a leave in this regard from the trial court. In this words, the status quo, as existing today over the suit land shall be maintained by the plaintiff(s) as well as the defendant(s). एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6(12) एवं धारा–6(13) का उल्लंघन करते हुए दाखिल–खारिज वाद सं0–2208/2018–19, 3729/2018–19, 2961/2019–20, 2964/2019–20, 2976/2019–20, 3026/2019–20 एवं 7055/2019–20 में **श्री मुकुल कुमार झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सम्पतचक** के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–565(15), दिनांक–09.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री झा द्वारा दिनांक–30.04.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच पटना** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री मुकुल कुमार झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, पटना/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर/**श्री मुकुल कुमार झा,** तत्कालीन अंचल अधिकारी, सम्पतचक, पटना **सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड—पोस्ट
ई—मेल

ज्ञापांक—15/आरोप (पटना) 02—30/2025—..........................(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—...................

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर/श्री मुकुल कुमार झा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड—पोस्ट

ज्ञापांक—15/आरोप (पटना) 02—30/2025—..........................(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—....................

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0— आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (पटना) 02—30/2025—.......177.......(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—...20.02.26

प्रतिलिपिः— माननीय उपमुख्यमंत्री—सह—विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/02/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Mukul kr. Jha_CO(Sampatchak_patna).doc